

कॉर्पोरेट खेती का एजेंडा बना मोदी सरकार का एजेंडा वादा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का, खतरे में पड़ गयी एमएसपी

विजय शंकर सिंह

वादा फरामोशी यूं तो दुनिया भर की सभी सरकारों और राजनीतिक दलों का स्थायी भाव होता है, पर चर्चा उसी की होती है जो वर्तमान में सामने है। 20 सितंबर को राज्यसभा से किसी तरह ध्वनिमत के सहारे सरकार ने कृषि विधेयकों को पारित ज़रूर करा लिया और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह सब तो कांग्रेस के भी घोषणापत्र में था, तो अचानक यह ख्याल आया कि किसानों के लिये इनका क्या वादा है?

ऐसा नहीं है कि आज पंजाब से कर्नाटक तक जो किसान आंदोलन चल रहा है वह भटके हुए कुछ मुट्ठीभर किसानों का आंदोलन है, बल्कि यह सरकार के प्रति अविश्वास, वादा खिलाफी, बार-बार हो रहे मिथ्यावाचन और साख के संकट का परिणाम है। अन्द्राजाता, मार्ड-बाप, मिट्टी, भारत माता के सच्चे सपूत आदि आदि खिलाफों से अलंकृत देश का कृषक समाज, आज पहली बार सड़कों पर नहीं उतरा है।

वह हर राजनीतिक दल के शासनकाल में, हर सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, कभी गत्रों के बकाया भुगतान को लेकर, तो कभी प्याज़ की अचानक घट जाती कीमतों को लेकर, तो कभी कॉर्पोरेट के इशारे पर ज़मीन के बलात अधिग्रहण को लेकर, तो कभी बिजली, खाद, डॉजल को रियायती दर पर देने की मांग को लेकर, तो कभी अपनी उपज के बाजिब कीमत को लेकर सड़कों पर उतरता रहा है।

अगर किसान आंदोलन के इतिहास को खंगाला जाए तो देश के हर हिस्से में कहीं न कहीं बराबर किसान आंदोलन होते रहे हैं। इस इतिहास को एक लेख वह कितना भी लंबा हो, के जरिये समेटना सम्भव नहीं होगा। उस पर अलग-अलग आंदोलनों पर अलग-अलग लेख लिखे जाने चाहिए।

उपज की बाजिब कीमत और उसका समय पर भुगतान, यह किसानों की एक बड़ी समस्या है। 1965 से किसानों को उनके फसल की लागत मिले इस लिए एक आयोग बनाया गया जो अध्ययन कर के उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता था। गत्रों का मूल्य अलग से तय होता था। सभी सरकारें हर साल बुआई के पहले फसल की कीमत तय करती थीं। हर साल इनकी कीमत सरकारें बढ़ाती भी हैं। यह अलग बात है कि किसी साल यह वृद्धि दर कम होती है तो किसी साल यह वृद्धि दर अधिक हो जाती है। यह बहुत कुछ बाजार और सरकार की अर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है।

ऐसी ही कृषि उपज की कीमतों को तय करने के लिये एक कमेटी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित हुयी थी, जिसने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी। इस कमेटी के रिपोर्ट की एक दिलचस्प कहानी यह है कि जब कांग्रेस सत्ता के बाहर रहती है तो वह, यह मांग करती है कि सरकार इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे, और जब भाजपा सत्ता के बाहर विपक्ष में रहती है तो वह इस पर अड़ी रहती है कि इस कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए और जब दोनों सरकार में होते हैं तो इस रिपोर्ट की बात भी नहीं करते हैं!

अब एक चर्चा वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की। जेनेटिक वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घेरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकिसित किए। 'हरित क्रांति' कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज ग्रीब किसानों के खतों में लगा गए थे। इस क्रांति ने भारत को



दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश के कलंक से उत्तराकर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था। उस समय से भारत के कृषि पुनर्जीवण ने स्वामीनाथन को 'कृषि क्रांति आंदोलन' के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई। उनके द्वारा सदाबाहर क्रांति की ओर उन्मुख अवलंबनीय कृषि की वकालत ने उन्हें अवलंबनीय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता का दर्जा दिलाया। एम. एस. स्वामीनाथन को 'विज्ञान एवं अधिर्यांत्रिकी' के क्षेत्र में 'भारत सरकार' द्वारा सन 1967 में 'पद्म श्री', 1972 में 'पद्म भूषण' और 1989 में 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया था।

देश में जब-जब किसान आंदोलन होता है और किसान जब सड़क पर आते हैं तब-तब स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों की चर्चा होती है। महात्मा गांधी ने 1946 में कहा था, "जो लोग भूखे हैं, उनके लिए रोटी भगवान है" इसी कथन को मार्गदर्शी सिद्धांत बनाते हुए 18 नवम्बर 2004 को यूपीए सरकार ने कृषि की समस्या को गहराई से समझने और किसानों की प्रगति का रास्ता तैयार करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था। इस आयोग के चेयरमैन कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉ. एमएस स्वामीनाथन थे। इसलिए ही इसे स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है।

इस आयोग ने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें खेती-किसानी में सुधार के लिए बहुत सी बातें कही गई हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख सिफारिश है, वह, कृषि को राज्यों की सूची के बजाय समवर्ती सूची में लाने की बात है, ताकि केंद्र व राज्य दोनों किसानों की मदद के लिए आगे आएं और समन्वय बनाया जा सके। आज भी यह सिफारिश लॉबिट है।

आयोग के मुख्य-मुख्य सुझाव निम्न प्रकार से हैं,

- कमेटी ने बीज और फसल की कीमत को लेकर भी सुझाव दिया। कमेटी ने कहा कि किसानों को अच्छी क्लालिटी का बीज कम से कम दाम पर मुहूर्या कराया जाए और उन्हें फसल की लागत का पचास प्रतिशत ज्यादा दाम मिले।

- अच्छी उपज के लिए किसानों के पास नई जनकारी का होना भी जरूरी है। ऐसे में देश के सभी गांवों में किसानों की मदद और जागरूकता के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल की स्थापना की जाए। इसके अलावा महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जाए।

- कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भूमि सुधारों पर भी जोर दिया और कहा कि अतिरिक्त व बेकार जमीन को भूमिहीनों में बांट दिया जाए। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए गैर-कृषि कार्यों को लेकर मुख्य कृषि भूमि और बनों का डायवर्जन न किया जाए। कमेटी ने नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस का गठन करने को भी कहा।

- कमेटी ने भी किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाने की सिफारिश की थी, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को मदद मिल सके।

- कमेटी ने छोटे-मंझोले किसानों को लेकर भी बड़ी सिफारिश की थी और कहा था कि सरकार खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था करे, ताकि गरीब और ज़रूरतमंद किसानों को कोई दिक्कत न हो।

- किसानों के कर्ज की बाज दर 4 प्रतिशत तक लाई जाए और अगर वे कर्ज नहीं दे पा रहे हैं तो इसकी बसूली पर रोक लगे।

स्वामीनाथन आयोग की एक प्रमुख सिफारिश यह भी है, कि किसानों को उनकी फसलों के दाम उसकी लागत में कम से कम 50 प्रतिशत जोड़ के दिया जाना चाहिए। पूरे देशभर के किसान इसी सिफारिश को लागू करने की माँग को लेकर सड़कों पर कई बार आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन तमाम वादे करने के बाद भी इस सिफारिश को न तो यूपीए सरकार ने लागू किया और न ही वर्तमान की भाजपा सरकार ने।

लगभग दो सालों तक भारत के तमाम कृषि संगठन, जानकार और किसानों से बात करने के बाद आयोग ने अपनी कई महत्वपूर्ण सिफारिशों के साथ कुल पाँच रिपोर्ट तत्कालीन यूपीए सरकार को 2006 में सौंप दी थी। पर अफ़सोस की दस साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है।

भाजपा ने 2014 के आम चुनाव के समय अपने घोषणापत्र, जिसे वे संकल्प पत्र कहते हैं, में वादा किया है कि वे फसलों का दाम लागत में 50 प्रतिशत जोड़ कर के देंगे। लेकिन जब हरियाणा के एक आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने एक आरटीआई दायर कर के सरकार से इस वादे के बारे में पूछा तो, सरकार ने जवाब दिया कि वे इसे लागू नहीं कर सकते हैं।

इस रिपोर्ट में मुख्यतः फसलों की मूल्य निर्धारण नीति और कर्जा नीति पर ज्यादा ज़ोर दिया गया है। स्वामीनाथन आयोग की एक सिफारिश यह भी है कि साल भर में किसान की लागत और उसकी मेहनत को जोड़कर उसका डेढ़ गुना दाम दिया जाए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और वहां भी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम यह दाम नहीं दे सकते। विडंबना है,

द्वारा खेती के खर्चों का हिसाब लगाने की जो प्रणाली है वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। ये ना तो किसी आर्थिक आधार पर तरक्की पूर्ण है और ना ही किसी वैज्ञानिक आधार पर।"

वही मजदूर किसान शक्ति संगठन की सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय कहती है, "चाहे जो भी सरकार सत्ता में हो, हमेशा ही आर्थिक नीतियां कॉर्पोरेट और मुक्त बाजार की बकालत करने वाले अर्थस्त्रियों को ध्यान में रख कर तय की जाती हैं जिन्हें उन ज़मीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं होती जो ग्रीब हर रोज सामना करता है। यदि हम चाहते हैं कि देश में किसान बचा रहे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को तुरंत लागू कर देना चाहिए।"

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फसलों के सही दाम ना मिलना, मंडी की अव्यवस्था, पानी की सही व्यवस्था ना होना, समय पर कर्ज़ ना मिलना, भूमि सुधार का अधूरा रह जाना य